सुधर्म 6

किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन

Institute of Livelihood Research and Training

apmas

सुधर्म 6

किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन

किसान उत्पादक संगठन के
संचालक मण्डल के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम

apmas

सुधर्म

किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन

पहला संस्करण – जुलाई 2021

मूल्य – रु. 100

पुनः प्रकाशन का अधिकार आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) के पास सुरक्षित रखा गया है । इस सामग्री को आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी से अनुमति लेकर अथवा के साथ आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी और डी.जी.आर.वी. के लोगो का उपयोग करके पुनः प्रकाशित किया जा सकता है ।

इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए, आप आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी के कार्यालय से फोन के माध्यम से या ई-मेल भेजकर भी संपर्क कर सकते हैं ।

द्वारा प्रकाशित
आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS)
प्लॉट 11 और 12, हुडा कॉलोनी, तनेशा नगर, मणिकोंडा,
हैदराबाद – 500089, तेलंगाना, भारत
कार्यालय दूरभाष: 08413-403118 / 08413-403120
ई-मेल आईडी: - info@apmas.org
वेबसाइट – www.apmas.org

किसान उत्पादक संगठन के संचालक मण्डल के लिए स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी?

यद्दपि भारतीय किसान कई प्रकार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, परन्तु कृषि क्षेत्र ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है । किसानों की समृद्धि के लिए, उनको को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) बनाना, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े पसंदीदा संस्थागत तंत्र के रूप में उभर रहा है । अगले 5 वर्षों में भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एफपीओ एक मुख्य रणनीति है । भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 7,500 एफपीओ का गठन किया जा चुका है और बहुत सारी एफपीओ का गठन हो रहा है । एफपीओ आंदोलन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है क्योंकि एफपीओ के संचालक मंडल के सदस्य सीमित रूप से प्रशिक्षित होने के कारण वे अपने दृष्टिकोण, क्षमताओं और व्यापारिक योजनाओं के उन्मुखीकरण के लिए अपने प्रवर्तकों यानी प्रमोटर्स पर निर्भर होते हैं । एफपीओ को निरंतर रूप से एक प्रशिक्षित, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) के न होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एफपीओ को कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि - सुशासन, व्यवसायिक प्रबंधन, प्रभावी कार्य व्यवस्था तथा वित्त, बाजार और सरकारी योजनाओं तक पहुँच, आदि । कृषि-मूल्य श्रृंखला के विकास को प्रभावी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता एफपीओ के लिए एक दूर का सपना बनी हुई है ।

एफपीओ के संचालक मण्डल का क्षमता निर्माण एक मौलिक एवं पूर्वनिर्धारित शर्त है, एफपीओ की सफलता और उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, जिनके आधार पर वे एक सशक्त व्यावसायिक संगठनों के रूप में उभरकर अपने सदस्य किसानों को आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान करें, जिससे कि खेती से होने वाले उनके मुनाफे बढे । एफपीओ के संचालक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों व अन्य सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षण और सलाह (मेंटरिंग सपोर्ट) देना, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इन्क्यूबेशन केन्द्र के माध्यम से हम बड़ी संख्या में एफपीओ के निर्माण और इसके साथ ही अन्यों द्वारा बनाए हुए एफपीओ को सलाह देने का कार्य भी कर रहे है, ताकि वे उचित कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास की पहल में संलग्न हो सके।

एफपीओ पर वर्तमान में मौजूद प्रशिक्षण नियमावली (मैन्युअल) और पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के बाद, हमने पाया कि एफपीओ के संचालक मण्डल की क्षमता विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, व्यावहारिक और आसानी से उपयोग होने वाला स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कमी है । स्वयं सहायता समूहों के स्व-नियमन पर स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण के सशक्त अनुभव और पिछले 20 वर्षों के संस्थागत विकास पर क्षमता निर्माण के अनुभव के आधार पर, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) की टीम ने श्री मधु मूर्ति और श्रीमती रामलक्ष्मी के नेतृत्व में एक वर्ष से अधिक समय में संसाधन संगठनों, सहयोगी गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा एफपीओ के प्रतिनिधि संगठनों के साथ मिलकर एफपीओ के संचालक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के लिये 12 आसान स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बुकलेट) की एक श्रृंखला विकसित करने का कार्य किया, जिसमें एफपीओ की आवश्यकता, महत्व और औचित्य, संस्थागत संरचना, सदस्यता, नेतृत्व व शासन, प्रबंधन, पंजीकरण व कानूनी अनुपालन, व्यवसाय योजना, उत्पादकता बढ़ाना,

इनपुट और आउटपुट का सामूहिक विपणन (मार्केटिंग), कृषि सेवा केंद्र का प्रबंधन, लेखा और वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं ।

एफपीओ हमेशा से स्थायी रूप से लोकतांत्रिक स्वायत्तता वाली व्यापारिक संस्थाएँ रही हैं, नियमित अन्तराल पर संचालक मंडल के सदस्यों के बदलाव व नए सदस्यों के चयन के लिए चुनाव होंगे और इसलिए संचालक मंडल के सदस्यों की क्षमता विकास की जरुरत हमेशा होगी । ऐसे में हम आश्वस्त हैं कि यह आसान स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एफपीओ के लिए अति उपयोगी होगी, जिससे एफपीओ व्यवहारिक संगठन बन सकेगा व अपने सदस्यों को सेवाएँ दे सकेगा । एफपीओ निर्माण करने वालों को, संचालक मण्डल के सदस्यों को व्यवस्थित प्रकार से सहयोग देना होगा, ताकि वे इन स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख सके । एफपीओ प्रवर्तक और अन्य भागीदार भी इस एफपीओ के संचालक मंडल के स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग एफपीओ को प्रभावी रूप से सलाह देने और स्व-प्रबंधित व व्यवहारिक व्यापारिक संगठन बनाने के लिए कर सकेंगे । आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) ने तेलुगु और अंग्रेजी में इन स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण की जिम्मेदारी ली है, मांग के अनुरूप, इन मॉड्यूल को गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तमिल भाषाओं में संसाधन संगठनों, बाइफ (BAIF), सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (CYSD), मायराडा (MYRADA), एफपीओ उत्कृष्टता केंद्र कर्नाटक, एफपीओ सहायता संघ तमिलनाडु, आदि के साथ साझेदारी में अनुवाद किया गया है ।

एफपीओ के संचालक मंडल के स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की श्रृंखला के इन 6 मॉड्यूल व 12 पोस्टरों का हिंदी संस्करण इंस्टिट्यूट ऑफ़ लाइवलीहुड रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएलआरटी), भोपाल के सहयोग से तैयार किया गया हैं और इस कार्य के लिए वित्तीय सहयोग राजीव गाँधी फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया हैं ।

नाबार्ड और बर्ड लखनऊ पहले से ही हमारे एफपीओ के संचालक मंडल स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग या पुनरुत्पादन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं में संसाधन संगठनों, राज्य सरकारों, क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) और अन्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा इन मॉड्यूलों को व्यवहार्य व्यावसायिक संगठनों के रूप में अपने एफपीओ के संचालक मंडल का क्षमतावर्धन करने के लिए उचित रूप से अपनाया जा सकता है । आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) निश्चित रूप से इस तरह के प्रयासों का समर्थन करेगा । हम आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बहुत उत्सुक है ।

सादर,
सी.एस. रेड्डी

(सी.ई.ओ, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी)

विषय सूची

मार्गदर्शिका के सन्दर्भ में 6

शब्दावली 8

प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन (बेसलाइन) 11

1. वैधानिक लाभ और आवश्यकता :अनुपालन (कानूनी) 12

2. पंजीकरण के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन 15

3. कानूनी लाइसेंस और परमिट 21

प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन 29

मार्गदर्शिका के सन्दर्भ में

संचालक मण्डल के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम

1. **जागृति - किसान उत्पादक संगठनः परिचय एवं औचित्य**
2. **परिकल्पना - किसान उत्पादक संगठन की संरचना एवं स्वरुप (डिजाईन)**
3. **विनिमय - किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता**
4. **प्रेरणा - किसान उत्पादक संगठन में अभिशासन**
5. **समर्थन - किसान उत्पादक संगठन का प्रबंधन**
6. **सुधर्म - किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन**
7. **व्यवसाय योजना**
8. **लेखांकन और वित्त**
9. **फसल उत्पादन पश्चात आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन**
10. **बाज़ार**
11. **खेत की उत्पादकता संवर्धन हेतु सेवाएँ**
12. **किसान उत्पादक संगठन के संचालन हेतु आवश्यक नेतृत्व क्षमता**

किसान उत्पादक संगठन के स्व-प्रशिक्षण या स्वयं अध्ययन के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में, "किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन" प्रशिक्षण की छठी महत्वपूर्ण कड़ी है। चूंकि किसान उत्पादक संगठनों के सशक्त संचालन के लिए वैधानिक प्रावधानों की समझ और उनका अनुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए यह मॉड्यूल उच्च महत्व रखता है। इसके जरिए संचालक मण्डल के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमताएं ओर बढ़ाई जा सकती हैं ।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण प्रारूप का उद्देश्य एफपीओ के संचालक मण्डल सदस्यों एवम् संचालक मण्डल का उन्मुखीकरण कर उनका क्षमतावर्धन करना है जिससे अपने कार्य और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से समझ कर एफपीओ का सफल संचालन और नेतृत्त्व कर सकें और एफपीओ से जुड़े सदस्यों को लाभ दिला सकें।

लक्षित समूह

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बनाने का मूल उद्देश्य संचालक मण्डल के सदस्यों की क्षमता बढ़ाना है। इस प्रशिक्षण के लिए किसान उत्पादक संगठनों के संचालक मण्डल के सदस्यों को अपने एफपीओ को संचालित करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन" के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- एफपीओ के लिए कानूनी अनुपालन की आवश्यकता और इससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- किसान उत्पादक संगठन के पंजीकरण से जुड़े नियम-कानून या अधिनियमों के विभिन्न अनुपालन की समझ विकसित करना।
- विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों की आवश्यकता और विभिन्न प्रकार के कानूनी लाइसेंस/परमिट के बारे में जानना।

संरचना एवं विषय वस्तु

जैसा कि उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह पाठ्यक्रम सर्वप्रथम किसान उत्पादक संगठन के कानूनी अनुपालन की आवश्यकता एवं महत्व पर विभिन्न पदाधिकारियों अर्थात संचालक मण्डल के सदस्यों, कर्मचारियों और एफपीओ के सदस्यों के लिए विषय के संबंध में आवश्यक समझ बनाने के साथ शुरू होता है। फिर इसमें पंजीकरण के अधिनियमों के साथ-साथ एफपीओ के लिए आवश्यक विभिन्न लाइसेंस/परमिट के तहत कानून के पालन से जुड़ीं आवश्यक जानकारियों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है।

उपयोगिता

संचालक मण्डल के सदस्य इस पाठ्यक्रम को स्वयं पढ़कर या किसी स्त्रोत व्यक्ति) प्रशिक्षक (के माध्यम से आसानी से समझ सकते है। कंपनी के संचालन की भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को चित्र के माध्यम से समझाया गया है जिसका उपयोग संचालक मण्डल, अंशधारियों के साथ होने वाली अलग-अलग बैठकों एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने की समझ विकसित करने में कर सकते हैं|

इस पाठ्यक्रम का लाभ लेकर कंपनी का संचालन अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से करने में समर्थ होने के लिए हमारी शुभकामनाएं।

शब्दावली

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (ए.ओ.ए.)	आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए एक सहकारी समिति के उपनियम/बायलाज की तरह है । जिसमें कंपनी को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए निर्धारित किये गए नियमों, और कंपनी के उद्देश्य, प्रक्रिया और संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी होती है । ए.ओ.ए. को कम्पनी के संचालक मण्डल के सदस्य तैयार करते है जिसका अनुमोदन कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा होता है । ए.ओ.ए. में कोई संशोधन केवल साधारण सभा द्वारा किया जा सकता । इसके पश्चात कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ।
वार्षिक साधारण सभा/बैठक (ए.जी.एम.)	वार्षिक साधारण बैठक या सामान्य बैठक एक एफपीओ की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक होती है। ए.जी.एम. के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों, वार्षिक योजनाओं, निवेशों और वित्त जुटाने, ऑडिट**र** (लेखा परीक्षक) की नियुक्ति, संचालक मण्डल निर्वाचन आदि जैसे एफपीओ के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया जाता है।
कृषि उपज मंडी समिति (ए.पी.एम.सी.) लाइसेंस	कृषि उपज मंडी समिति (ए.पी.एम.सी.) का लाइसेंस, कृषि विपणन विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
एगमार्क (AGMARK)	कृषि विपणन प्रमाणन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। (एगमार्क, एक प्रमाणचिह्न है जो भारत में कृषि/खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो, उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है जो 1986 में संशोधित की गयी थी।)
संचालक मण्डल (बीओडी)	किसान उत्पादक कंपनी के अंशधारियों का वह समूह जो साधारण सभा द्वारा चयनित एवं निर्वाचित होकर उन्हीं के मार्गदर्शन और अनुमोदन पर कंपनी के सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्यों का संचालन करता है । संचालक मण्डल के सदस्यों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं पारिश्रमिक कंपनी के अधिनियमों के मुताबिक होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यह वास्तव में कम्पनी का निर्णायक मण्डल होता है जो यह सुनिश्चित करता हैं कि उनके लिए गए फैसले अंशधारकों के हित में हो।

उपनियम (बायलॉज)	यह एफपीओ के कामकाज/गतिविधियों को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह (नियमावली) है, जो अधिनियम के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज है। इसे कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा तैयार किया जाता है और इसका एफपीओ के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होता है। उपनियमों (बायलॉज) में संशोधन साधारण सभा ही कर सकती है। लेकिन उसके बाद इसे एफपीओ के रजिस्ट्रार द्वारा भी पुनः अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ।
सहकारी/सामाजिक निकाय	एक सामाजिक निकाय एक औपचारिक, मान्यता प्राप्त इकाई है, जो संपत्ति के अधिग्रहण, पकड़ और निपटान का हकदार है। यह किसी भी तरह के समझौते या अनुबंधों को तैयार करने, मुकदमा करने और इसके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजों को करने का हकदार है। पंजीकरण के बाद एफपीओ, एक सामाजिक निकाय बन जाता है|
संचालक मण्डल/ बोर्ड की बैठक	एफपीओ के संचालक मण्डल द्वारा आयोजित बैठक । एफपीओ के बायलॉज संचालक मण्डल की होने वाली बैठकों की आवृत्ति और तरीके को निर्दिष्ट करता है। हालांकि, नियम के अनुसार संचालक मण्डल हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेगा।
सी.ई.ओ/मैनेजर/जनरल मैनेजर	प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन को प्रबन्धन हेतु एक पूर्ण कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) नियुक्त करना अनिवार्य है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगठन की समस्त गतिविधियों का संचालन संचालक मण्डल की देखरेख में करता है एवम् पूर्ण रूप से संगठन के कार्य निष्पादन एवम् परिणाम हेतु संचालक मण्डल के प्रति जवाबदेह होता है।
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक पंजीकृत संगठन है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण उनके किसान सदस्यों द्वारा किया जाता है। एफपीओ का उद्देश्य ही है कि इससे जुड़े हुए सभी किसानों के समान हित और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसा कि ए.ओ.ए. में उल्लेखित है। आज एफपीओ कृषि उत्पादन और इससे संबंधित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत है। एक औपचारिक संगठन होने के कारण एफपीओ को स्वयं के कार्यालय/बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, संचालक मण्डल और संचालन के लिए व्यवस्थित कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है।
किसान उत्पादक कंपनी (एफ.पी.सी.)	कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, पंजीकृत एक एफपीओ को उत्पादक कंपनी कहा जाता है। उत्पादक कंपनी का अर्थ है एक सामाजिक निकाय जिसका उद्देश्य और उसकी गतिविधियाँ धारा

	581 ब में निर्दिष्ट दिशा-निर्देषों के अनुसार हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
सहकारी समिति	सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत (उदाहरणः आंध्र प्रदेश म्युचुअल एडेड को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1995 के लिए) एफपीओ को सहकारी समिति भी कहा जाता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.)	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) का प्रमाणीकरण, खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षा और मानकों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ।
वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)	वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला व्यापक स्तर का कर है जो सम्पूर्ण भारत में समान रूप से लगाया जाता है ।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) प्रमाणपत्र	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रमाणपत्र उद्योग विभाग (जिला प्रबंधक, जिला औद्योगिक केंद्र) द्वारा जारी किया गया।
स्थायी खाता संख्या (पैन)	स्थायी खाता संख्या (पैन) दस अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक (अक्षरांकीय) संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों और पंजीकृत संगठनों को आयकर को विनियमित करने के लिए लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जो इसके लिए आवेदन करता है या जिसे विभाग नंबर आवंटित करता है।
सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस.)	सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (PGS); स्थानीय रूप से प्रासंगिक एक गुणवत्ता आश्वासन की पहल है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर जोर देता है। यह अधिकृत एजेंसियों (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी किया गया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है।
रिटर्न रिटर्न फाइलिंग (दाखिल करना)	वार्षिक रिटर्न एफपीओ का विवरण संबंधित प्राधिकरण (रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्स/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) को हर साल दाखिल करना होता है। वार्षिक रिटर्न के विवरण में एफपीओ के वित्तीय विवरणों की ऑडिट, एफपीओ की प्रमुख गतिविधियां, आदि शामिल हैं।
कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कर कटौती खाता संख्या या कर संग्रहण खाता संख्या आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक (अक्षरांकीय) संख्या है। टैन, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना है जो स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के लिए उत्तरदायी हैं या जिन्हें स्त्रोत (टीसीएस) पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन (बेसलाइन)

जैसा कि पिछले भाग में "किसान उत्पादक संगठन का प्रबंधन के बारे में" बताया गया है, यह मॉड्यूल "किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन" विषय से संबंधित है।

इस विषय पर आपके लिए कुछ बुनियादी प्रश्न नीचे दिए गए हैं। आइए इन सवालों के जवाब खुद दें। इसका उद्देश्य इन प्रश्नों पर हमारी वर्तमान समझ का स्व-मूल्यांकन करना है और इस प्रकार "एफपीओ में वैधानिक (कानूनी) प्रावधानों के अनुपालन" के बारे में अधिक सीखना है।

1. एफपीओ को वैधानिक (कानूनी) प्रावधानों के अनुपालन की क्या आवश्यकता है ?

---

2. एफपीओ के लिए आवश्यक विभिन्न लाइसेंस या परमिट कौन से हैं ?

---

1 वैधानिक (कानूनी) अनुपालन: लाभ और आवश्यकता

सत्र का उद्देश्य

किसान उत्पादक संगठन के लिए वैधानिक (कानूनी) प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता और लाभों से अवगत कराना ।

विषय वस्तुः

1. कानूनी अनुपालन की आवश्यकता
2. कानूनी अनुपालन के लाभ

इसके पहले वाले पाठ्यक्रम में, हमने एफपीओ के शासन के बारे में समझा। जैसा कि हमने उस मॉड्यूल से समझा कि, एफपीओ के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण घटक कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करना है । इस मॉड्यूल में, हम कानूनी अनुपालन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसे एफपीओ के संचालक मण्डल द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

आईए, इसे एक छोटे से अभ्यास के साथ शुरू करें।

अभ्यासः

आईए, निम्नलिखित दो अलग-अलग किसान उत्पादक कंपनियों (एफ.पी.सी.) के मामलों को देखें । इनके माध्यम से समझने का प्रयास करें कि इन दोनों एफपीसी में कानूनी अनुपालन के क्या परिणाम हुए ।

किसान निर्माता कंपनी (एफपीसी) – 1

इस एफपीसी में, ए.जी.एम. हर साल आयोजित की जाती है, जहां अन्य लेन-देन के अलावा रिक्ति स्थानों की पूर्ति के लिए निदेशक चुने जाते हैं। पिछले वर्ष, लेखों में आवश्यक संशोधन और दीर्घकालिक योजनाओं के अनुमोदन के लिए, उन्होंने एक ई.जी.एम. भी आयोजित की।

बोर्ड की बैठकें हर महीने 5 तारीख की निश्चित तिथि को आयोजित की जाती हैं। बोर्ड ने सी.ई.ओ. को भी नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद वैधानिक ऑडिट की जाती है। वार्षिक रिटर्न, जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करना और सभी वैधानिक रजिस्टरों का रखरखाव समय पर किया जाता है।

किसान निर्माता कंपनी (एफपीसी) - 2

इस एफपीसी में बोर्ड की बैठक तो होती है लेकिन नियमित रूप से नहीं। भले ही पिछले साल एजीएम हुई हो, लेकिन वे आर.ओ.सी. (कंपनियों के रजिस्ट्रार) के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भूल गए। ए.जी.एम. से ठीक पहले वैधानिक ऑडिट भी जल्दबाजी में किया गया। वैधानिक रजिस्टरों को भी अद्यतन नहीं किया गया। उन्होंने एक तिमाही में कोई व्यापारिक लेनदेन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि उन्हें उस तिमाही के लिए जीएसटी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि "एफपीओ - परिचय और औचित्य" मॉड्यूल में चर्चा की गई है कि, एफपीओ पंजीकृत संस्थाएं और "बॉडी कॉरपोरेट्स" हैं। इसका मतलब यह है कि एफपीओ देश के कानून के द्वारा विनियमित किया जाता है अर्थात वह कानून जिसके तहत यह पंजीकृत हुआ है और अन्य कानून जिससे एफपीओ की गतिविधियों संबंधित है । इस प्रकार, यह अत्यन्त जरूरी है कि एफपीओ पूरी तरह से वैधानिक (कानूनी) प्रावधानों का अनुपालन करने वाले संगठन हो और यह सुनिश्चित करना बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

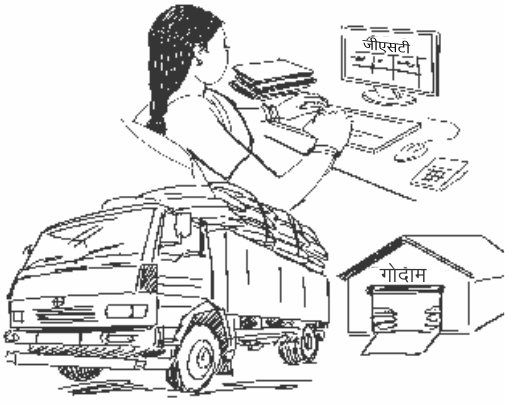

कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के लाभ

- किसी भी कानूनी कार्यावाही से सुरक्षित रहें- उदाहरण के लिए, भंडारण पर सतर्कता छापे, प्रतिस्पर्धी द्वारा कोई कानूनी मामला, खरीदार द्वारा भुगतान न करना आदि।
- एफपीओ के लिए मजबूत संस्थागत प्रणालियों के विकास को बढ़ावा- जैसे बहीखाता पद्धति, शासन, निगरानी आदि।
- एफपीओ के लिए वित्त जुटाना - वित्तीय विवरण, कानूनी दस्तावेज, कोलैटरल आदि आवश्यकताओं को पूरा करके
- अनुबंध करके लेन-देन कर सकते हैं - जैसे उत्पाद के विपणन के लिए खरीदार के साथ
- पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान करता है ।

कानूनी रूप से अनुपालन की आवश्यकता और लाभों पर समझ स्पष्ट होने के बाद, अब देखते हैं कि एक एफपीओ को किन कानूनी प्रावधानों के अनुपालनों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

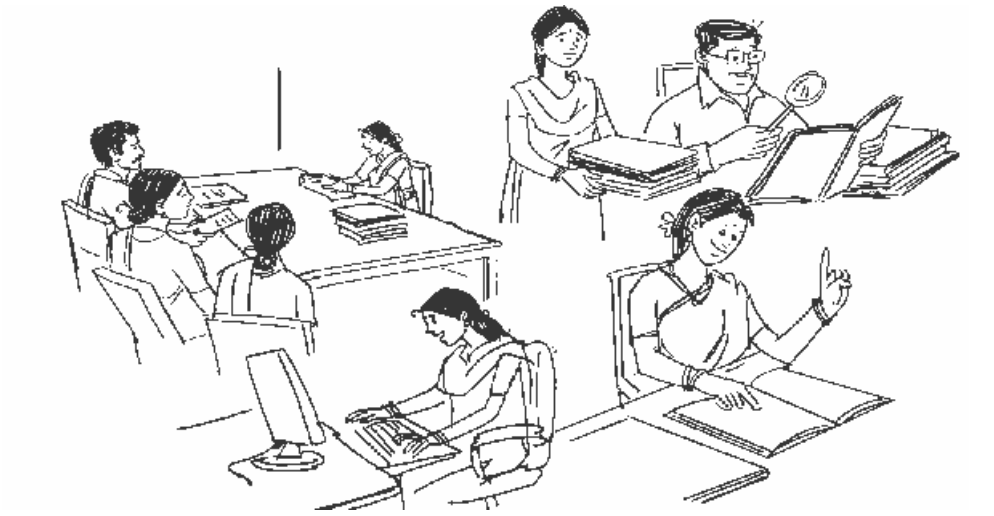

2 पंजीकरण के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन

सत्र उद्देश्य

पंजीकरण के अधिनियम के तहत विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से परिचित होना।

विषय वस्तु

1. उत्पादक कंपनी के लिए कानूनी प्रावधानों का अनुपालन

पंजीकरण के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन

इस सत्र में, आइए देखें कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत एक एफपीओ द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन क्या हैं? यह महत्वपूर्ण है कि सभी आवश्यक कानूनी प्रावधानों का अनुपालन निर्धारित समय में किया जाए अन्यथा यह दंड का कारण बन सकता है।

तालिका 1: उत्पादक कंपनी के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का कैलेंडर

#	अनुपालन	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	संचालक मण्डल की बैठक	साल में चार (तिमाही में एक)	■			■			■			■		
2.	वैधानिक ऑडिट	प्रत्येक वित्तीय वर्ष	■											
3.	विशेष ऑडिट	रजिस्ट्रार के अनुमोदन से	■											
4.	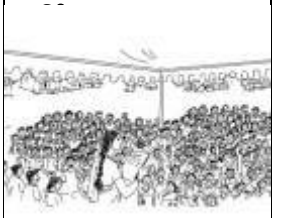	एक साल में एक बार वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीने के अन्दर						■						

#	अनुपालन	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
5.	संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव	एक तिहाई हर साल												
6.	वार्षिक रिटर्न आर.ओ.सी. के साथ 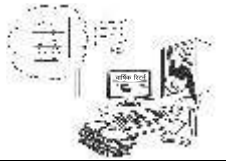	ए.जी.एम. होने के 30 दिन के भीतर												
7.	सामान्य रिजर्व	साल में एक बार												
8.	ऑडिटर की नियुक्ति 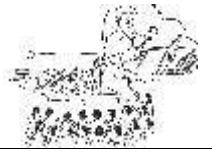	ए.जी.एम. के अनुमोदन से												
9.	जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करना	12 महीने में एक बार												
10	विशिष्ठ साधारण बैठक 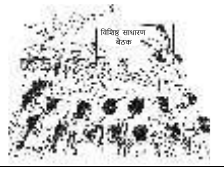	आवश्यकता होने पर												

#	अनुपालन	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
11	विभिन्न वैधानिक रजिस्टर का रखरखाव	प्रतिदिन												

अभ्यास: अब, हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारी एफपीओ सभी कानूनी अनुपालन का पालन कर रही है जैसा कि ऊपर वर्णित है। यदि नहीं, तो समय में सभी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई बिंदु क्या हो सकते हैं?

अपराध और दंड

एफपीसी द्वारा अलग-अलग अपराधों के लिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार दंड को नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 2: अपराध और दंड

क्र.	अपराध के प्रकार	दंड
1	कोई भी सदस्य उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के सापेक्ष व्यावसायिक हित प्राप्त करता हो।	वह अंशधारी कंपनी के सदस्य होने की पात्रता नहीं रखता एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे सदस्यता से पृथक किया जा सकता है यानी सदस्यता खत्म की जा सकती है।
2	कोई भी संचालक उत्पादक कंपनी के अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के कार्य में वोट, या अनुमोदन करता है ।	उत्पादक कंपनी के संचालक मण्डल के संचालक पद से पृथक या फिर उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए (अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप)
3	संचालक द्वारा कंपनी से जुड़े मामलों में किसी सदस्य या अधिकृत व्यक्ति को संबंधित जानकारी ना प्रस्तुत करने में	पिछले वर्ष में हुए कंपनी के टर्नओवर का 5% तक का जुर्माना
4	उत्पादक कंपनी के खाते, संपत्ति के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को सौपने में असफल होने पर	1 रुपये लाख तक का जुर्माना और अपराध की निरंतरता होने पर अतिरिक्त 10,000/- रुपये प्रत्येक दिन के लिए प्रावधान है|
5	ए.जी.एम. या साधारण बैठक बुलाने में असफल होने पर	1 रुपये लाख तक का जुर्माना और अपराध की निरंतरता होने पर अतिरिक्त 10,000/- रुपये प्रत्येक दिन के लिए प्रावधान है|
6	यदि किसी पंजीकृत कंपनी द्वारा पंजीयन के एक वर्ष के समय काल में व्यवसाय आरम्भ नहीं किया जाता है	तो कंपनी पंजीयक को यह अधिकार है कि वह संचालक मण्डल को समय सीमा के अंदर यह स्पष्टीकरण देने हेतु कहे और उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर कंपनी का पंजीयन रद्द कर दे।
7	उत्पादक कंपनी सदस्यों के साथ व्यापार करना बंद कर देती है		तो कंपनी पंजीयक को यह अधिकार है कि वह संचालक मण्डल को समय सीमा के अंदर यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहे और उत्तर

क्र.	अपराध के प्रकार	दंड
		संतोषजनक नहीं होने पर कंपनी का पंजीयन रद्द कर दे।
8	उत्पादक कंपनी, अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों का पालन नहीं कर रही है	तो कंपनी पंजीयक को यह अधिकार है कि वह संचालक मण्डल को समय सीमा के अंदर यह स्पष्टीकरण देने हेतु कहे और उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर कंपनी का पंजीयन रद्द कर दे।
9	उत्पादक कंपनी अंशधारियों के साथ पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों को नहीं बनाए रख पा रही है	तो कंपनी पंजीयक को यह अधिकार है कि वह संचालक मण्डल को समय सीमा के अंदर यह स्पष्टीकरण देने हेतु कहे और उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर कंपनी का पंजीयन रद्द कर दे।

कंपनी अधिनियम के नियमों के आधार पर समय-समय पर अनुपालन और दंड का विवरण बदल सकता है। इस प्रकार संचालक मण्डल के सदस्यों को समय-समय पर सभी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पंजीकृत कंपनी सचिव की सेवाएँ लेनी चाहिए।

3 कानूनी लाइसेंस और परमिट

सत्र उद्देश्य

एफपीओ के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक वैधानिक (कानूनी) लाइसेंस या परमिट और उनकी आवश्यकता के बारे में जानना ।

विषय वस्तु :

1. एफपीओ के लिए कानूनी लाइसेंस /परमिट
2. एफपीओ में वैधानिक रजिस्टर की जानकारी

कानूनी लाइसेंस/परमिट

पंजीकृत अधिनियम के तहत विभिन्न अनुपालनों के अलावा, एफपीओ को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस/परमिट की आवश्यकता होती है। इन्हें निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3: किसान उत्पादक संगठन के लिए विधि निर्देशित कानूनी लाइसेंस और परमिट

व्यवसाय/गतिविधि	आवश्यक लाइसेंस/परमिट्स	प्रदाता अधिकारी
इनपुट (आगत) व्यवसाय- बीज	बीज उत्पादन एवं बिक्री लाइसेंस, बीज प्रमाणीकरण लाइसेंस	कृषि विभाग, राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी
इनपुट (आगत) दुकान	आगत (उर्वरक, कीटनाशक) डीलरशिप, दुकानें और प्रतिष्ठान	कृषि विभाग; दुकान और प्रतिष्ठान/ संस्थान स्थापन अधिनियम, श्रम विभाग
खरीद, भंडारण एवं बिक्री	कृषि उपज मंडी समिति (ए.पी.एम.सी.) लाइसेंस	ए.पी.एम.सी., कृषि उत्पाद विपणन विभाग
गुणवत्ता	कृषि विपणन (एगमार्क) प्रमाणीकरण	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
भण्डारण	वेयरहाउस अनुपालन, खाद्यान्न लाइसेंस	भण्डारण विकास और नियामक प्राधिकरण, राज्य भंडारण निगम, नागरिक आपूर्ति निगम
बिक्री	वज़न और माप	नागरिक आपूर्ति निगम
खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग 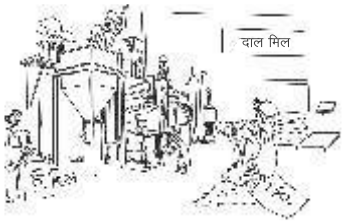	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) प्रमाणन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रदूषणकारी उद्योग, कारखाना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.)	प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री या कारखाना लाइसेंस, एम.एस.एम.ई. प्रमाणपत्र	उद्योग विभाग (जिला प्रबंधक, जिला औद्योगिक केंद्र)
	जल आपूर्ति की अनुमति	ग्राम पंचायत / नगरपालिका या नगर निगम
	विद्युत आपूर्ति की अनुमति	विद्युत विभाग
	फायर स्टेशन या अग्निशमन केंद्र की अनुमति	फायर स्टेशन
व्यवसाय/ सेवाएँ विक्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर 	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क निदेशक मंडल, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आय कर (इनकम टैक्स)	स्थायी खाता संख्या (पैन); कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	आय कर विभाग
जैव उत्पाद उत्पादन 	भागीदारी/सहभागी गारंटी प्रणाली (पी.जी.एस.); थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या तृतीय पक्ष प्रमाणन	प्राधिकृत एजेंसियां (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

लाइसेंस के नमूने एवं प्रदाता अधिकारी

1. बीज प्रमाणीकरण लाइसेंस

2. ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन

PGS-INDIA ORGANIC

3. एम.एस.एम.ई. प्राधिकरण

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

4. गोदाम प्राधिकरण

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

5. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.)

fssai
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

6. कृषि उपज गुणवत्ता

भारत सरकार
AGMARK
GOVERNMENT OF INDIA

7. वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स सर्विस टैक्स)	8. एफपीओ पैन कार्ड
	आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT भारत सरकार GOVT. OF INDIA स्थायी लेखा संख्या कार्ड Permanent Account Number Card AAEAJ7676E नाम / Name JAI KISHAN AGRICULTURE PRODUCER MUTUALLY AIDED COOPERATIVE SOCIETY 01/10/2018

9. एफपीओ उर्वरक लाइसेंस

FORM A-2
ACKNOWLEDGEMENT
(See clause 8(3))

NEW

Authorization Letter Number : CTR/36/ADA/FR/2018/23839
Date of issue : 28/12/2018
Valid up to : 27/12/2021

1. Received from M/s. RAMASAMUDRAM MANDAL AGRICULTURAL PRODUCERS MUTUALLY AIDED CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAMASAMUDRAM(V), RAMASAMUDRAM(M), PUNGANUR(DIV), CHITTOOR (DISTRICT).a complete memorandum of intimation along with Form "O", fee of Rs.2500/- by challan bearing No(s).21022853442018, Dt(s):14/08/2018.

2. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for a period of 3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unless suspended or revoked by the competent authority.

Date : 28/12/2018
Place : Punganur

Signature of Notified Authority

LETTER OF AUTHORIZATION TO CARRY ON THE BUSINESS OF SELLING OF FERTILIZERS AS A RETAIL DEALER IN GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH

M/s.RAMASAMUDRAM MANDAL AGRICULTURAL PRODUCERS MUTUALLY AIDED CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAMASAMUDRAM(V), RAMASAMUDRAM(M), PUNGANUR(DIV), CHITTOOR(DISTRICT), is here by granted letter of authorization to carry on the business of selling fertilizers/bio fertilizers/Organic fertilizers in retail at the place specified below in the state of Andhra Pradesh subject to the terms and conditions specified below and to the provision of the Fertilizer (Control) Order,1985.

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Place of business and personal responsible	Location of sale depot	Location of Godowns attached to sale depot	Type of Fertilizers	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s.RAMASAMUDRAM MANDAL AGRICULTURAL PRODUCERS MUTUALLY AIDED CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., 6-57, Bajaar Street, Ramasamudram, Ramasamudram, Punganur, Chittoor. Person Responsible List Enclosed	6-57, Bajaar Street, Ramasamudram, Ramasamudram, Punganur, Chittoor. (Godown also included)	Nil	List Enclosed	List Enclosed

Seal :

Date : 28/12/2018

Place : Punganur

Signature of Notified Authority

10. एफपीओ - जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 37AAALR1612H1Z7

1.	**Legal Name**	RMS MANDAL AGRICULTURE PRODUCERS MUTUALLY			
2.	**Trade Name, if any**	RMS MANDAL AGRICULTURE PRODUCERS MUTUALLY			
3.	**Constitution of Business**	Local Authority			
4.	**Address of Principal Place of Business**	6-57, BAJAR STREET, RAMASAMUDRAM, Chittoor, Andhra Pradesh, 517325			
5.	**Date of Liability**				
6.	**Period of Validity**	From	26/07/2018	To	NA
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**				

Signature

Validity unknown
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 1
Date: 2018.07.26 00:19:34 IST

Name	
Designation	
Jurisdictional Office	
9. Date of issue of Certificate	26/07/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

apmas

अभ्यास : विभिन्न लाइसेंस/परमिट की आवश्यकता पर हमारी एफपीओ का आकलन करें।

क्र. #	गतिविधि	आवश्यक लाइसेंस / परमिट	प्राप्त (हां / ना)	लाइसेंस चलन में है/ रिन्यू किया जा रहा है (हां / ना)

वैधानिक रजिस्टर

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, प्रत्येक उत्पादक कंपनी में संचालित होने वाली गतिविधियों और वित्त की सम्पूर्ण जानकारियों को संग्रहीत करके रखने के लिए वैधानिक रजिस्टरों या दस्तावेजों को बनाना होगा।

उत्पादक कंपनी में बनाए जाने वाले वैधानिक रजिस्टर

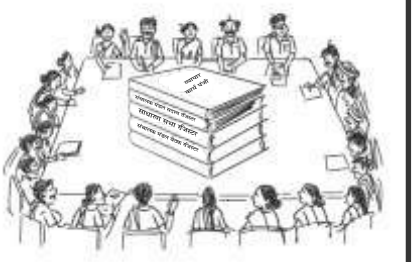

- शुल्क का रजिस्टर
- सदस्यों का रजिस्टर
- संचालकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर
- वार्षिक रिटर्न की प्रतियां
- संचालक मण्डल की बैठकों और संचालक मण्डल की समिति की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें
- सामान्य निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें
- घोषित लाभांश और शेष अवैतनिक का रजिस्टर
- खातों की उचित पुस्तकें
- कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और निवेश का रजिस्टर

प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन

याद करे, कि मॉड्यूल की शुरुआत में, हमने बेसलाइन (प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन) के माध्यम से एफपीओ में कानूनी अनुपालन के बारे में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब दिए थे।

अब, हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। इसलिए, इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विस्तृत अध्ययन के बाद विषय की अतिरिक्त समझ के बारे में हमें अपना आकलन करने के लिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए है।

इसलिए, मॉड्यूल पर चर्चा के बाद और सीखने के आधार पर कुछ और सवालों के जवाब दें

1. एफपीओ में किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य लाइसेंस या परमिट कौन से हैं ?

   .....

   .....

   .....

   .....

2. कानूनी अनुपालन को पूरा नहीं करने के परिणाम क्या हो सकते हैं?

   .....

   .....

   .....

   .....

3. उत्पादक कंपनी के लिए कानूनी मामलों में अलग-अलग संभावित अपराध एवं दंड क्या हैं?

   .....

   .....

   .....

   .....

इस मॉड्यूल के अनुसार मुख्य कार्य बिन्दु

किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन

आइए, हम सूचीबद्ध करें कि किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन पर इस मॉड्यूल से हमारे एफपीओ के लिए मुख्य कार्य बिंदु क्या हो सकते हैं

टिप्पणी

टिप्पणी

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) के बारे में

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) एक राष्ट्रीय स्तर की गैर लाभकारी संस्था है जो कि सामुदायिक संगठनों जैसे कि स्वयं सहायता समूह, उनके संघ, सहकारिताओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) व अन्य सामुदायिक संगठनों जो कि स्व सहायता, आपसी लाभ, स्वयं की जिम्मेदारी, आत्म-निर्भरता जैसे मूल्यों में विश्वास रखते है और उनको व्यवहार में लाते है, उनके सशक्तिकरण पर कार्य करती है।

सुधर्म
किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) द्वारा प्रवर्तित **एफपीओ इन्क्यूबेशन सेंटर** एफपीओ को व्यवहार्य और टिकाऊ उद्यम के रूप में विकसित करने का एक वन-स्टॉप सेंटर है। यह कार्य एफपीओ को प्रोत्साहित व सहयोग करने वाली संस्थाओं के साथ भागीदारी करके किया जाता है। सेंटर संस्थागत विकास से सम्बंधित सेवाएँ जैसे कि विजन तैयार करना, वैधानिक अनुपालन, प्रबंधन, अभिशासन और इन संस्थाओं की क्षमता विकास करना, आदि सेवाएँ देता है। इसके साथ ही, व्यवसाय विकास से सम्बंधित सेवाएँ जैसे की व्यावसायिक योजना बनाना, वित्तीय जुड़ाव, विपणन और एफपीओ के व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग भी देता है।

सहयोग

DGRV

संकलन एवं निर्माण

Institute of Livelihood Research and Training

apmas